न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –4/202019 (अपील)

अब्दुल सलीम आत्मज जुम्मा खां जाति मुसलमान निवासी बडी करबला लाडपुरा कोटा राजस्थान , उचित मूल्य दुकानदार पोस कोड 1761 खाई रोड शोप नं0 262 नयापुरा कोटा

–प्रार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी , कलेक्ट्रेट कोटा

–अप्रार्थी

अपील अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 सपठित आवश्यक वस्तु अधिनियम

निर्णय

दिनांक– 11.12.2019

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा अपने आदेश कमांक/रसद/एफपीएस/2018/335 दिनांक 27.3.2018 से अपीलांट अब्दुल सलीम आत्मज जुम्मा खां निवासी बड़ी करबला लाडपुरा कोटा, का उचित मूल्य दुकान पोस कोड 1761 खाई रोड शोप नं0 262 नयापुरा कोटा लाईसेंस निरस्त किया गया है ।
2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 02.07.2019 को पेश कर कथन किया है कि अपीलांट फेयर प्राईज शोप नम्बर 262 पोस कोड 1761 खाई रोड कोटा पर संचालित रही है जो अपीलांट ने सम्पूर्ण ईमानदारी मेहनत लगन एवं आम जनता की सन्तुष्ठी रखते हुये दुकान विधि अनुसार संचालित के बाद में मौखिक आदेशानुसार उक्त दुकान को बालापुरा कुन्हाडी कोटा में स्थानान्तरित की गई जहां भी अपीलांट ने सम्पूर्ण ईमानदारी विधि नियम से दुकान का संचालन किया और लगातार करता रहा , ग्राहक सम्पूर्ण रूप से सन्तुष्ठ रहे । अपीलांट की दुकान पर राशन कार्ड अधिक थे किन्तु वितरण के लिए मात्र 10 बोरी अनाज दिये जाने से करीब 1000 राशन कार्ड धारकों में वितरण को लेकर विवाद लगातार हो जाता था, इस कारण अपीलांट ने दिनांक 20.2.2018 को केरोसीन के साथ उपभोक्ताओं के लिये गेहूं का आवंटन कोटा बढाने का प्रार्थना पत्र भी पेश किया । अधीनस्थ माननीय जिला रसद अधिकारी महो0 के अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा इस मामले में स्वेच्छिक रूप से उक्त फेयर प्राईज शोप सहित कई दुकानदारों का सर्वे कर उन्हें शोप संचालन को लेकर इनिच्छुक मानते हुये कारण बताओं नोटिस जारी किये फिर सम्बन्धित समाचार पत्र

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

में सूची प्रकाशित की । अपीलांट ने विधि अनुसार उपस्थित होकर अपनी फेयर प्राईज शोप संचालित करने की ईच्छा लिखित में जताई और कैरोसीन तथा गेहूं उपभोक्ताओं की राशन कार्ड संख्या के अनुरूप उनकी आवश्यकतानुसार कोटा बढाकर दिये जाने का लिखित आवेदन पेश किया । इस सम्बन्ध में आदेशिका में भी अधीनस्थ माननीय रसद अधिकारी की विभागीय पत्रावली में उपस्थिति बाबत टिप्पणी है फिर भी माननीय अधिनस्थ अधिकारी ने क्रमांक/रसद एफपीसएस/2018/335 दिनांक 27.3.2018 का एक आदेश जारी किया जिसमें अपीलांट का क्रम संख्या 3 पर प्राधिकार निरस्त करने का आदेश था, उक्त आदेश में कुल 7 लोगों के प्राधिकार निरस्त करने की सूचना जारी की गई थी । उक्त आदेश दिनांक 27.3.2018 की सूचना अपीलांट को कतई नहीं हुई, वह लगातार कार्यालय में सम्पर्क करता रहा किन्तु उसे कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई, जन सुनवाई में अपीलांट उपस्थित हुआ तब दिनांक 21.6.2019 को अपीलांट को पता चला कि उसकी फेयर प्राईज शोप का प्राधिकार पत्र दिनांक 27.3.2018 को ही निरस्त कर दिया गया है । अपीलांट ने इस सम्बन्ध में तत्काल उसी दिन सम्बन्धित दस्तावेज आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये आवेदन किया जो उसे दिनांक 21.6.2019 को प्राप्त हुई, अपीलांट ने सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क किया तथा माननीय जिला कलक्टर कार्यालय में भी प्रार्थना पत्र पेश किया किन्तु उक्त प्रकरण प्रशासनिक नहीं होकर न्यायिक होने से कोई कार्यवाही नहीं हुई और अपील करने की सलाह देने से यह अपील पेश की जा रही है । उक्त आक्षेपित आदेश दिनांक 27.3.2018 की सुनवाई के पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों की पालना नहीं की गई है नाही अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर दिया गया है । अपीलान्ट के परिवार की आजीविका का साधन एक मात्र फेयर प्राईज शोप के संचालन से ही है यदि उक्त प्राधिकार को पुनः बहाल नहीं किया गया तो अपीलान्ट के परिवार के समक्ष भूखे मरने की नौबत आ जायेगी । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर आक्षेपित आदेश दिनांक 27.3.2018 में क्रम संख्या 3 पर अपीलांट के नाम से जो प्राधिकार पत्र दुकान संख्या 262 पोस कोड 1761 खाई रोड कोटा संचालन आदेश बालापुरा कुन्हाडी सेक्टर 2 कोटा का प्राधिकार निरस्ती आदेश अपास्त कर अपीलान्ट का उक्त फेयर प्राईज शोप लाईसेन्स बहाल कर अनुग्रहित करें ।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । पेरोकार रसद व वकील अपीलांट उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलांट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि उक्त आक्षेपित आदेश दिनांक 27.3.2018 की सुनवाई के पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों की पालना नहीं की गई है नाही अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर दिया गया है । अपीलान्ट के परिवार की आजीविका का साधन एक मात्र फेयर प्राईज शोप के संचालन से ही है यदि उक्त प्राधिकार को पुनः बहाल नहीं किया गया तो अपीलान्ट के परिवार के समक्ष भूखे मरने की नौबत आ जायेगी । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर आक्षेपित आदेश दिनांक 27.3.2018 में क्रम संख्या 3 पर अपीलांट के नाम से जो प्राधिकार पत्र दुकान संख्या 262 पोस कोड 1761 खाई रोड कोटा संचालन आदेश बालापुरा कुन्हाडी सेक्टर 2 कोटा का

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

प्राधिकार निरस्ती आदेश अपास्त कर अपीलान्ट का उक्त फेयर प्राईज शोप लाईसेन्स बहाल कर अनुग्रहित करें ।

5. पेरोकार रसद द्वारा अपने जवाब एवं बहस में कथन किया कि अब्दुल सलीम, पूर्व उचित मूल्य दुकानदार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित सामग्री के वितरण में रूचि नहीं होने एवं अन्य विभिन्न कारणों से प्राधिकार पत्र निरस्त करने से पूर्व उचित मूल्य दुकानदार को सुनवाई का अन्तिम अवसर प्रदान किया था । प्राधिकार पत्र निरस्त करने से पूर्व उचित मूल्य दुकानदार को सुनवाई का अन्तिम अवसर प्रदान करने हेतु दौ अखबार में दिनांक 3.2.2018 को प्रकाशन भी कराया गया । अपीलार्थी का यह कहना गलत है कि बिना सुने ही लाईसेंस निरस्त कर दिया गया है । अब्दुल सलीम द्वारा पूर्व में केवल केरोसीन वितरण का कार्य किया जाता था । श्री अब्दुल सलीम द्वारा दिनांक 20.2.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि केरोसीन के साथ साथ गेहूं का आवंटन भी किया जावें किन्तु अपीलांट द्वारा आवंटित सामग्री के वितरण में रूचि नहीं लेने के कारण आदेश कमांक/335 दिनांक 27.3.2018 द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तु अधिनियम (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र संख्या 262 निरस्त कर दिया गया था ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र उचित मूल्य दुकानदार पोस कोड 1761 खाई रोड शोप नं0 262 नयापुरा कोटा को इस आधार पर निरस्त किया गया था कि अपीलांट द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित सामग्री के वितरण में रूचित नहीं दिखाने से व अन्य कारणों से प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया है । अपीलांट का कथन है कि उनके पास राशनकार्ड अधिक होने से केरोसीन तथा गेहूं उपभोक्ताओं की राशन कार्ड संख्या के अनुरूप कोटा नहीं होने से उपभोताओं में आक्रोश हो जाता है । अपीलांट अपीलांट द्वारा पुनः दुकान को सुचारूरूप से संचालन हेतु आतुर है तथा अपीलांट की आजीविका इसी उचित मूल्य की दुकान पर निर्भर होने से अपीलांट की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सहानूभूतिपूर्व विचार किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र पुनः बहाल किया जाना उचित समझते है ।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी कोटा को इस आदेश के साथ प्रति–प्रेषित किया जाता है कि यदि अन्य नजदीकी उचित मूल्य दुकान खाली हो तो अपीलांट का प्राधिकार पत्र पुनः बहाल किया जाकर अपीलांट को दुकान का आवंटन किया जावें । निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी कोटा को पालनार्थ भेजी जावें ।

8. निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला कलेक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner